फर्द अहकाम

नानू बनाम धाली वगै०

नाम न्यायालय

केस संख्या 296/2006

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31/5/17	पत्रावली निगाह आपके बाद कोर्ट केम्प परवण पर पेश हुई। पक्षकारान वकील उप०। पत्रावली में पक्षकारान की तामील पूर्व है। प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण निर्धारित समय अवधि में किया जाना होता है। उक्त प्रकरण में अदालत के दृष्टिकोण में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते है। अतः परिणाम स्वरूप प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 RTA को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त ख०नं० 61/5, 61/6 वाके ग्राम गोकुलपुरा त० फागी जयपुर के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं इसके कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो।	